ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक :-3प/विविध-17-19/2021/6847/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 21/7/2022

विषय :- **पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत उपयोग में लाये गये बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः- **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, बिहार, पटना का पत्रांक-722, दिनांक-31.05.2022 एवं विभागीय पत्रांक-1537 दिनांक-02.03.2022 तथा विभागीय संकल्प संख्या-2935, दिनांक-22.06.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक विभागीय पत्रांक-1537, दिनांक-02.03.2022 द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-2935, दिनांक-22.06.2021 को उद्धरित करते हुए विभागीय पेयजलापूर्ति योजना के लिए उपयोग में लाये गये विद्युत विपत्र की राशि के भुगतान की स्थापित व्यवस्था के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, बिहार, पटना के द्वारा उन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जिनके द्वारा अबतक विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें सूचीबद्ध करते हुए विभाग को स्मारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 14वीं/15वीं वित्त आयोग की राशि (Untied Fund) से विद्युत प्रभार का भुगतान किया जाना है। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन इकाई को निदेश दिया जाये कि वे लंबित विद्युत विपत्र की राशि का प्राथमिकता के आधार पर ससमय भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही तदनुरूप की गयी कार्रवाई का ब्यौरा समेकित रूप में जिला इकाई के माध्यम से विभाग को अवगत कराते हुए विद्युत प्रदाता कम्पनी को तत्संबंधी ब्यौरा उपलब्ध करायी जाये।

अनुलग्नकः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-3प/विविध-17-19/2021/6847/पं०रा० पटना, दिनांक-21/7/2022

प्रतिलिपिः-सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से विद्युत विपत्र के शीघ्र भुगतान संबंधी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

कृ०पृ०उ०.....

D:\Anil Sir\Anil Sir\Letter.docx 314

ज्ञापांकः–3प / विविध–17–19 / 2021 / 6847 / पं०रा० पटना, दिनांक 21 / 7 / 2022
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

संजीव हंस, भा०प्र०से०
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०
निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना : 800 021
दूरभाष : 0612-2504036, फैक्स : 0612-2504968

पत्रांक– Rev/Govt misc/2720/2018 Part-I ......722...... दिनांक–....31.05.2022

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **हर घर नल जल योजना अन्तर्गत विद्युत बकाए के भुगतान के सम्बन्ध में।**

प्रसंग– 1. इस कार्यालय का पत्रांक–171, दिनांक 08.02.2022
2. इस कार्यालय का पत्रांक–84, दिनांक 27.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सरकार के सात निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर जल नल योजना के लिए राज्य के सभी पंचायतों में वार्ड स्तर पर जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु स्थापित मोटर पम्प के लिए विद्युत संबंध दिया गया है। आपके क्षेत्राधीन हर घर नल जल योजना के अन्तर्गत उर्जान्वित मोटर पम्प हेतु HGN श्रेणी में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा वार्ड कियान्वयन एवं अनुश्रवन समिति के सचिव नाम से विद्युत संबंध दिया गया है। ज्ञात हो कि विद्युत विपत्रों का भुगतान वार्ड क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के सचिव द्वारा किया जाना निश्चित किया गया था। परन्तु उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। दिनांक 01.04.2022 को आपके क्षेत्राधीन हर घर नल जल योजना अन्तर्गत विद्युत बकाया कुल 134.08 करोड़ रूपये (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 41.12 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 92.96 करोड़ रूपये) है। जिलावार/ उपभोक्तावार विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कुल 134.08 करोड़ रूपये का भुगतान केन्द्रीयकृत रूप से करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(संजीव हंस)
अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नकः– यथावर्णित।

Panchayati Raj

Division/District	Consumer (Nos.)	Dues (Rs. In lakh)
Arwal	**460**	**21.14**
ARWAL	460	21.14
Aurangabad	**1025**	**46.90**
AURANGABAD	555	19.29
DAUDNAGAR	470	27.61
Banka	**812**	**181.14**
AMARPUR	603	110.14
BANKA	209	71.00
Bhagalpur	**717**	**197.02**
BHAGALPUR(E)	385	38.03
BHAGALPUR(U)	77	145.84
NAUGACHIA	255	13.15
Bhojpur	**921**	**53.21**
ARRAH	366	34.60
JAGDISHPUR	555	18.61
Buxar	**544**	**44.01**
BUXAR	544	44.01
Gaya	**2130**	**424.99**
GAYA(R)	698	34.24
GAYA(U)	81	3.45
MANPUR	529	330.63
SHERGHATI	822	56.68
Jamui	**344**	**101.28**
JAMUI	344	101.28
Jehanabad	**1066**	**174.72**
JAHANABAD	1066	174.72
Kaimur	**905**	**475.02**
BHABHUA	905	475.02
Lakhisarai	**215**	**11.87**
LAKHISARAI	215	11.87
Munger	**511**	**131.59**
MUNGER	511	131.59
Nalanda	**1681**	**1513.95**
BIHARSARIF	773	909.16
EKANGARSARAI	602	444.38
RAJGIR	306	160.41
Nawada	**538**	**520.60**
NAWADA	538	520.60
Patna	**1903**	**174.73**
BARH	588	43.52
BIHTA	507	33.21
FATUHA	238	34.33
KHAGAUL	8	0.19
MASAURHI	423	44.52
PATNA	139	18.95
Rohtas	**999**	**39.72**
DEHRIONSONE	425	15.16
SASARAM	574	24.55
Grand Total	**14771**	**4111.89**

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक :–उप/विविध–17–19/2021/1537/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 2/3/2022

विषय :– **पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत पेयजलापूर्ति हेतु विद्युत संबंधन प्राप्त वार्डों के लंबित विद्युत विपत्र के भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय संकल्प संख्या–2935, दिनांक–22.06.2021 एवं निदेशक, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–171 दिनांक–08.02.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक विभागीय संकल्प के माध्यम से आप अवगत होंगे कि पंचायती राज विभाग अन्तर्गत "हर घर नल का जल" योजना के तहत मोटर/पम्प से नियमित जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु विधिवत् विद्युत संबंधन की प्राप्ति एवं उपभोग किये गये विद्युत विपत्र की राशि के भुगतान की व्यवस्था प्रावधानित है।

प्रासंगिकता है कि उक्त संकल्प के कंडिका–7(v) एवं (vi) का अनुशरण किया जाये, जिसमें अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को राशि की व्यवस्था एवं वास्तविक विद्युत विपत्र के ससमय भुगतान हेतु प्रावधान का उल्लेख किया गया है।

ज्ञातव्य है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर से अब तक विद्युत विपत्र के भुगतान नहीं किये जाने कारण विभाग को स्मारित किया गया है।

उपरोक्त आलोक में अनुरोध है कि प्रावधानित व्यवस्था के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराये गये वार्षिक अनुदान ₹24,000/– एवं उपभोक्ता शुल्क के रूप में वसूली गयी राशि के 50% राशि से वित्तीय वर्ष समाप्ति के परिपेक्ष्य में प्राथमिकता के आधार पर सभी संबंधित इकाई को विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/2/22

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–उप/विविध–17–19/2021/1537/पं०रा० पटना, दिनांक 2/3/2022

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से विद्युत विपत्र के शीघ्र भुगतान संबंधी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

E:\Anil Sir\Sashi (Sec 03)\2019 Sashi(P K V)\Anil Sir\Letter.docx

कृ०पृ०उ०...

ज्ञापांकः—3प / विविध—17—19 / 2021 / 1537 / पं०रा० पटना, दिनांक 2 / 3 / 2022

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

E:\Anil Sir\Sashi (Sec 03)\2019 sashi (P K V)\Anil Sir\Letter.docx 2/1

संजीवन सिन्हा
निदेशक (मानव संसाधन)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०
निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन,
जवाहर लाल नेहरु मार्ग, पटना : 800 021
दूरभाष : 0612-2505666

पत्रांक 171
Rev/Budget Provision of State Govt. Dept/2884/2021

दिनांक 08/02/2022

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषयः— **आपके अधीनस्थ कार्यालयों एवं हर घर जल नल योजना के तहत लगे पम्पों के विद्युत विपत्र के बकाये राशि के भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः— 1. इस कार्यालय का पत्रांक 84 दिनांक 27.01.2022
2. इस कार्यालय का पत्रांक 592 दिनांक 29.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों के विरूद्ध माह जनवरी, 2022 तक विद्युत विपत्र के बकाये की कुल राशि 29.29 करोड़ रूपये (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 3.77 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 25.52 करोड़ रूपये) है। शीर्षवार/उपभोक्तावार विवरणी संलग्न है। विदित हो कि माह फरवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक कुल अनुमानित अभिनिर्धारण 5.85 करोड़ रूपये (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 0.75 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 5.10 करोड़ रूपये) होगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल देयता राशि 35.14 करोड़ रूपये (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 4.52 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 30.62 करोड़ रूपये) होगा।

हर घर जल नल योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी पंचायतों में वार्ड स्तर पर जलापुर्ति योजना के कार्यान्यवन हेतु स्थापित मोटर पम्प के लिए दिये गये विद्युत संबंध पर कुल बकाये 68.76 करोड़ रूपये (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 29.57 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 39.19 करोड़ रूपये) है। उपभोक्तावार विवरणी संलग्न।

अतः अनुरोध है कि आपके कार्यालयों पर विद्युत बकाए मद में वित्तीय वर्ष 2021–2022 में कुल भुगतेय राशि 103.90 करोड़ रूपये (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 34.09 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 का 70.56 करोड़ रूपये) को केन्द्रीकृत रूप से भुगतान करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,

(संजीवन सिन्हा)
निदेशक (प्रशासन)

अनु०:— यथावर्णित।

North Bihar Power Distribution Company Limited

District Wise Dues of Panchayati Raj Department

Figures in Rs. Lakh

Name of District	Dues in Rs. Lakh
ARARIA	37.76
BEGUSARAI	284.70
BETTIAH	41.34
CHAPRA	10.47
DARBHANGA	87.06
GOPALGANJ	2.28
KATIHAR	195.03
KHAGARIA	258.64
KISHANGANJ	38.41
MADHEPURA	50.66
MADHUBANI	92.09
MOTIHARI	53.19
MUZAFFARPUR	353.92
PURNEA	11.97
SAHARSA	453.18
SAMASTIPUR	295.34
SHEOHAR	1.88
SITAMARHI	35.94
SIWAN	87.77
SUPAUL	9.53
VAISHALI	150.52
Grand Total	2551.68

South Bihar Power Distribution Company Limited

Department of Revenue

Panchayati Raj Dues

sl	District	Sum of Dues (in Rs.)
1	ARWAL	25854
2	AURANGABAD	1002057
3	BANKA	329737
4	BHAGALPUR	14109074
5	BHOJPUR	2406300
6	BUXAR	251209
7	GAYA	4977018
8	JAHANABAD	71525
9	JAMUI	1603042
10	KAIMUR	411871
11	LAKHISARAI	556627
12	MUNGER	4966385
13	NALANDA	1278585
14	NAWADA	1344163
15	PATNA	1100271
16	ROHTASH	2082230
17	SHEIKHPURA	1229991
	Grand Total	37745939

4

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या–3प/मु०म०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–2)/2935/पं०रा०,पटनादिनांक–22/6/2021

विषय :– मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021–22 तक विस्तार करने एवं "दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति" के तहत योजना के रख–रखाव हेतु अग्रेतर अनुदेशों की स्वीकृति के संबंध में।

पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या–1153 दिनांक–13.02.2019 (मंत्रिपरिषद की बैठक, दिनांक–05.02.2019 द्वारा स्वीकृत) एवं संकल्प संख्या–5344 दिनांक–11.09.2020 (मंत्रिपरिषद की बैठक, दिनांक–08.09.2020 द्वारा स्वीकृत) द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत विभिन्न स्तरों के दायित्व एवं रख–रखाव हेतु नीतिगत निर्णय निर्धारित किये गये थे।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख–रखाव नीति से संबंधित व्यवस्था के सामयिक अद्यतन समीक्षा के उपरान्त प्रस्तावित संलग्न अनुदेशों में वर्णित अग्रेतर संशोधन/दिशा–निर्देश दिये जाते हैं। (अनुदेशों की प्रति संलग्न)।

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख–रखाव नीति के तहत प्रस्तावित संलग्न अनुदेश के सारभूत तथ्य है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, जिनका कर्त्तव्य पेयजल योजना को सुचारू रूप से संचालन करना है। सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन सुचारू परिचालन हेतु अनुरक्षकों के विशिष्ट दायित्व निर्धारित करते हुए ग्रामीणों को जलापूर्ति व्यवस्था का निर्धारित समयानुरूप परिचालन, उनके लघु मरम्मति एवं वृहद् मरम्मति, के सम्पूर्ण अवयव तथा प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के चयन प्रक्रिया की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

4. पेयजलापूर्ति योजना के उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन की प्रस्तावित व्यवस्था से संबंधित संलग्न अनुदेश सारणीबद्ध की गई है।

5. उपर्युक्त व्यवस्था के तहत एकीकृत निवारण कोषांग का गठन एवं Toll Free No-18001231121 द्वारा शिकायतों का संधारण, निष्पादन एवं अनुश्रवण की प्रावधानित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

6. पेयजलापूर्ति योजना से जुड़े दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत हितधारकों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के दायित्व, ग्राम पंचायत के दायित्व, तकनीकी सहायकों के दायित्व, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के दायित्व सहित जिला पंचायत राज पदाधिकारी का दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

कृ०पृ०उ०...

39

7(क). दीर्घकालीन अनुरक्षण व्यवस्था हेतु निम्नवत् वित्तीय प्रबंधन किये जायेंगे :–

(i) 15वें वित्त आयोग के अनुदान की प्राप्ति के सात दिनों में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिमाह ₹4000/- की दर से अनुदान राशि हस्तांतरित की जायेगी पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा इस राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा, जिससे अनुरक्षक को ₹2000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान किया जा सकेगा। शेष ₹2000/- का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण में किया जायेगा।

(ii) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित उपभोक्ता शुल्क का 50% राशि प्रोत्साहन स्वरूप अनुरक्षक को देय होगी एवं शेष 50% राशि का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण हेतु किया जायेगा।

(iii) वार्ड सदस्य द्वारा यदि अनुरक्षकों के कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है, तो उन्हें अनुरक्षकों के लिए निर्धारित मानदेय अनुमान्य होगा। वार्ड सदस्यों को भुगतान किये जाने वाला प्रतिनिधि भत्ता भी पूर्ववत् अनुमान्य होगा।

(iv) पेयजल योजनाओं के संधारण हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर समुचित संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में सीधा ₹24000/- वार्षिक अनुदान अलग से दिया जायेगा।

(v) विद्युत विपत्र का भुगतान एवं रख–रखाव उक्त तीनों स्रोतों से प्राप्त समेकित निधि से अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा।

(vi) विद्युत विपत्र का भुगतान अध्यक्ष वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा ससमय करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) 'ग्राम पंचायतों द्वारा जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि ग्राम पंचायत की निधि में शामिल हो जायेगी।'

7(ख). "यह राशि राज्य योजना गद/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को प्राप्त होने वाले संसाधनों में से दी जा सकेगी।"

8. उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् राशि का आंकलन किया गया है :–

वर्ष	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (करोड़ में)		कुल आवश्यक राशि (करोड़ में)
	राज्य योजना	राज्य वित्त आयोग	
2021–22	₹300.00	₹300.00	₹600.00

रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं उसके बाद आगामी 4 वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि की व्यवस्था पंचायतों को प्राप्त राज्य योजना/राज्य वित्त आयोग के अनुदान गद से की जा सकेगी।

9. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के विभिन्न कारणों से समस्याग्रस्त वार्डों के अपूर्ण अथवा अनाच्छादित क्षेत्र की योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु समय सीमा का विस्तार वित्तीय वर्ष 2021–22 तक किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

10. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत् संचालन एवं उचित प्रबंधन हेतु पंचायती राज विभाग समय–समय पर अग्रेत्तर निदेश जारी कर सकेगा।

इस प्रस्ताव पर दिनांक–15.06.2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हैं।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

21.6.21

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–3प / मु०म०नि०यो०–19–04 / 2016(पार्ट–2) / 2935 / पं०रा०दिनांक–22 / 6 / 2021

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.6.21

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–3प / मु०म०नि०यो०–19–04 / 2016(पार्ट–2) / 2935 / पं०रा०दिनांक–22 / 6 / 2021

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

21.6.21

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–3प / मु०म०नि०यो०–19–04 / 2016(पार्ट–2) / 2935 / पं०रा०दिनांक–22 / 6 / 2021

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, बिहार / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार / सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / सभी प्राचार्य, मुखिया, सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

21.6.21

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

37.

ज्ञापांकः—3प / मु०म०नि०यो०—19—04 / 2016(पार्ट—2) 2935 / पं०रा०दिनांक- 22/6. / 202
प्रतिलिपिः— सचिव, बिहार विधान परिषद / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमं सचिवालय / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचना अग्रसारित।

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः—3प / मु०म०नि०यो०—19—04 / 2016(पार्ट—2) 2935 / पं०रा०दिनांक- 22/6. / 202
प्रतिलिपिः— आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाई www.biharprd.bih.nic.in पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संबंद्ध अलग फोल्डर पर अपलो करने हेतु अग्रसारित।

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के अपर मुख्य सचिव